उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)07
संख्याः– 220 / xxvii(7) / 2011
देहरादूनः दिनांकः 28 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना 2008 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित योजना बनाते हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान (संशोधन) योजना 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रस्तर 9 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना– 2008 में नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये वर्तमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ –2 में दिये गये प्रस्तर रख दिये जायें।

स्तम्भ –1 वर्तमान प्रस्तर	स्तम्भ –2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
9. व्यवहार्यता अनुदान की सीमाः–	9. व्यवहार्यता अनुदान की सीमाः–
(एक) भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं में व्यवहायता अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता उन परियोजनाओं के लिये केवल अनुपूरक सहायता प्रदान करने तक ही सीमित रहेगी, जो भारत सरकार द्वारा उनकी अवस्थापना में लोक निजी सहभागिता के लिये सहायता योजना जुलाई, 2005 (अनुलग्नक) के अधीन अनुमोदित है। ऐसी स्थिति में जहां भारत सरकार परियोजना के व्यवहार्यता के सम्पूर्ण अन्तर की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान नहीं करती, वहां राज्य सरकार कुल परियोजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यवहार्यता अनुदान प्रदान कर सकती है। भौतिक अवस्थापना में व्यवहार्यता अनुदान से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त योजना के अधीन भारत सरकार के अनुदान संलग्न होने चाहियें।	(एक–1) भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं में व्यवहार्यता अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता उन परियोजनाओं के लिये केवल अनुपूरक सहायता प्रदान करने तक ही सीमित रहेगी, जो भारत सरकार द्वारा उनकी अवस्थापना में लोक निजी सहभागिता के लिये सहायता योजना जुलाई, 2005 (अनुलग्नक) के अधीन अनुमोदित है। ऐसी स्थिति में जहा भारत सरकार परियोजना के व्यवहार्यता के सम्पूर्ण अन्तर की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान नही करती, वहां राज्य सरकार कुल परियाजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यवहार्यता अनुदान प्रदान कर सकती है। भौतिक अवस्थापना में व्यवहार्यता अनुदान से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त योजना के अधीन भारत सरकार के अनुदान संलग्न होने चाहियें
(दो) सामाजिक क्षेत्रों की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के मामलों में, जैसा कि पैरा –4(तीन) में इंगित हे राज्य सरकार परियोजना–लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत (अधिक से अधिक 10.00 करोड़ रुपये) तक व्यवहार्यता अनुदान प्राप्त कर सकती है	(एक–2) सशक्त समिति किसी प्रस्ताव विशेष पर उसके गुणावगुण के आधार पर इस व्यवहार्यता अनुदान योजना 2008 के अन्तर्गत सहायता के प्रस्ताव पर, बिना भारत सरकार की लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत अवस्थापना हेतु व्यवहार्यता (Viability) अनुदान योजना में अनुपूरक सहायता हेतु आवेदन किये, संस्तुति कर सकती है। ऐसी परियोजना के लिये

तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में अथवा जहां अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हों, सशक्त समिति पृथक-पृथक मामलों में परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 15 करोड़) व्यवहार्यता अनुदान की संस्तुति कर सकती है।

(तीन) सशक्त समिति किसी विशेष प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर 2(एक) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के प्रतिशत की सीमाओं के अन्दर व्यवहार्यता अनुदान की अधिक राशि की संस्तुति कर सकती है तथा यह वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संस्वीकृत की जा सकती है।

व्यवहार्यता गैप अनुदान प्रस्तर-9 के खण्ड (एक-1) में निर्दिष्ट राशि की सीमा में वित्तमंत्री और मुख्य मंत्री के अनुमोदन से स्वीकृत की जा सकती है।

(दो-1) सामाजिक क्षेत्रों की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के मामलों में, जैसा कि पैरा -4(तीन) में इंगित है राज्य सरकार परियोजना-लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत (अधिक से अधिक 10.00 करोड़ रुपये) तक व्यवहार्यता अनुदान प्राप्त कर सकती है तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में अथवा जहां अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हों, सशक्त समिति पृथक-पृथक मामलों में परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 15 करोड़) व्यवहार्यता अनुदान की संस्तुति कर सकती है।

(दो-2) सशक्त समिति किसी विशेष प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर व्यवहार्यता अनुदान हेतु अधिक धनराशि/या प्रतिशत की संस्तुति कर सकती है और यह वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से स्वीकृत की जा सकती है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्याः-220/xxvii(7)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Office Memorandum No. 220/XXVII(7)/2011. Dated 28 September, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section – 7
No.220/XXVII(7)/2011
Dehradun: dated: 28 September, 2011

OFFICE MEMORANDUM

The Governor is pleased to make the following Rules with a view to amend the Uttarakhand Infrastructure Viability Gap Funding Scheme, 2008.

Short title and Commencement 1. (1) This Scheme may be called the Uttarakhand Infrastructure Viability Gap Funding (Amendment) Scheme 2011.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of para 9 2. The para set out in Column 1 shall be substituted by column (2) in Uttarakhand Infrastructure Viability Gap Funding Scheme, 2008 as given below:

Column-1 (Existing Para)	Column-2 (Para as hereby substituted)
9. Extent of Viability Gap Funding	9. Extent of Viability Gap Funding
(i) As regards Viability Gap Funding in physical infrastructure projects, the State Govt. Support shall be limited to providing only supplementary support to those projects which have been approved by Govt. of India under their SCHEME FOR SUPPORT TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN INFRASTRUCTURE July 2005 (annexure) Accordingly, in Cases where Govt of India support does not cover the entire Viability Gap of the project, State Govt. may provide additional Viability Gap Funding upto a max. of 20% of the total Project Cost. All proposals pertaining to Viability Gap Funding In physical infrastructure should be accompanied with the approvals accorded by the Government of India under the aforesaid Scheme.	(i-1) As regards Viability Gap Funding in physical infrastructure projects, the State Govt. Support shall be limited to providing only supplementary support to those projects which have been approved by Govt. of India under their SCHEME FOR SUPPORT TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN INFRASTRUCTURE July 2005 (annexure) Accordingly, in Cases where Govt of India support does not cover the entire Viability Gap of the project, State Govt. may provide additional Viability Gap Funding upto a max. of 20 percent of the total Project Cost. All proposals pertaining to Viability Gap Funding In physical infrastructure should be accompanied with the approvals accorded by the Government of India under the aforesaid Scheme.
(ii.) In cases of PPP projects in social sectors as indicated in Para 4(iii), the State Govt. may provide Viability Gap Funding upto a	(i-2) The Empowered Committee may on merits of a particular proposal recommend a proposal under this VGF Scheme without applying for supplementary support under Scheme for support to Public Private Partnership in infrastructure by Government of India. The Viability Gap Funding for such Project may be

maximum of 33% [Subject to max. of Rs. 10 Crores.] of the Project Cost. However in projects which are located in hilly areas or where majority of the beneficiaries are members of SC/ST, the Empowered Committee may on a case by case basis recommend Viability Gap Funding upto a max. of 50%, of the Project Cost subject to max of Rs. 15 crores.

(iii)The Empowered Committee may on merits of a particular proposal recommend a higher amount of VGF within the percentage limits of subsidy as specified in (2)(i) and it may be sanctioned with approval of Finance Minister & Chief Minister.

sanctioned with approval of Finance Minister and Chief Minister subject to the limits of amount specified in clause (i-1) of para 9.

(ii-1) In cases of PPP projects in social sectors as indicated in Para 4(iii), the State Govt. may provide Viability Gap Funding up to a maximum of 33 percent [Subject to max. of Rs. 10 Crores (Ten crores) of the Project Cost. However in projects which are located in hilly areas or where majority of the beneficiaries are members of SC/ST, the Empowered Committee may on a case by case basis recommend Viability Gap Funding up to a max. of 50 percent, of the Project Cost subject to max of Rs. 15 crores (Fifteen crores).

(ii-2) The Empowered Committee may on merits of a particular proposal recommend a higher amount/or percentage of VGF and it may be sanctioned with approval of Finance Minister and Chief Minister.

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary, Finance.

No.220/XXVII(7)/2011

Copy to following for Information and necessary action:-

1. Secretary to Hon'ble Governor, Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Staff Officer, Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.
4. All Principal Secretary/Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.
5. Secretary, Legislative Assembly, Uttarakhand, Dehradun.
6. Accountant General, Oberoi Building, Saharanpur Road, Dehradun, Uttarakhand.
7. Commissioner Garhwal/Kumaoun, Uttarakhand.
8. All Head of the Department, Uttarakhand.
9. All Head of the Office, Uttarakhand.
10. All District Magistrate, Uttarakhand
11. Guard File.

By Order,

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary, Finance.